



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239360
CG-DL-E-06102022-239360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 237]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(न्यू शिपर समीक्षा)

(मामला संख्या: सीवीडी-एनएसआर-01/2022)

विषय: वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉपर ट्यूबों और पाइपों के आयात पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में मेसर्स एलएस मैटल विना एलएलसी (वियतनाम से उत्पादक) के लिए अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत।

फा .संख्या 07/16/2022-डीजीटीआर

1. एलएस मैटल विना एलएलसी, वियतनाम) जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है (ने सब्सिडियों तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार) जिसे एतद्पश्चात "एएससीएम" भी कहा गया है (के अनुच्छेद 19.3, समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ) सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण (नियमावली, 1995) जिसे एतद्पश्चात

‘नियमावली’ भी कहा गया है (और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी) जिन्हें इसके बाद ‘प्राधिकारी’ भी कहा गया है (के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां ये निर्यातित कॉपर पाइपों और ट्यूबों के सब्सिडी प्राप्त आयातों पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में उनके लिए अलग प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडीरोधी शुल्क दर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त दरों की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. एफ-4/10/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 जनवरी 2022 के द्वारा सिफारिश की गई थी और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 2/2022-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 28 अप्रैल 2022 द्वारा लगाया गया था।

क. शामिल उत्पादक निर्यातक/

3. वर्तमान जांच में मैसर्स एलएस मेटल विना एलएलसी शामिल है। (वियतनाम का उत्पादक)

ख. समीक्षा की शुरुआत

4. एएससीएम के अनुच्छेद 19. (प्रतिसंतुलनकारी) लिए ऐसे निर्यातक हेतु अलग सब्सिडीरोधी में प्राधिकारी के 3 शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए शीघ्र समीक्षा करना अपेक्षित है, जिसकी सहयोग से इंकार से इतर कारणों की वजह से वास्तव में जांच नहीं की गई थी।
5. न्यू शिपर आवेदक ने अपने आवेदन में आवश्यक सूचना दी है। उन्होंने इस संबंध में प्रमाणपत्र दिए हैं कि उन्होंने - मूल जांच की जांच अवधि से मार्च 2019 अर्थात् अप्रैल), 2020 के दौरान न तो भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और न ही वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक और उत्पादक से संबंधित हैं जो निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं।
6. न्यू शिपर आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और उपलब्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी एतद्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. फा. सं. 4/10/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 जनवरी, 2022 में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 2/2022-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के माध्यम से वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉपर पाइपों और ट्यूबों के सब्सिडी प्राप्त आयातों के संबंध में अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क दर निर्धारित करने के लिए एएससीएम के अनुच्छेद 19.3 के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।
7. प्राधिकारी इस समीक्षा के पूरा होने तक मैसर्स एलएस मेटल विना एलएलसी, वियतनाम द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों के अनंतिम आकलन की सिफारिश करते हैं।

ग. जांच की अवधि

8. वर्तमान में न्यू शिपर समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल 1, 2021 से 30 मार्च, 2022 तक की है।

घ. सूचना प्रस्तुत करना

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई मेल पत्तों-dd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in, और adv14-dgtr@gov.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ फॉर्मेट में और आंकड़ों की एमएस वर्ल्ड/हो।ल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्यफाइल एम एस एक्स
10. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस अधिसूचना के पैरा 14 में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना

इस जांच शुरुआत अधिसूचना, सीवीडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच परिणाम अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना, सीवीडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।
12. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
13. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पत्तों dd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ उस तारीख के दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए 30, जिस पर उसे सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजा गया है या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया है, को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित) हित के स्वरूप सहित (की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
16. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7 (4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
18. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानत (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई : होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
20. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण 8 रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष

दस्तावेज़ के अगोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के तर गोपनीय रूप से दावा किए गए पर अपनी दिनों के भी 7 टिप्पणी दे सकते हैं।

21. गोपनीयता के दावे पर उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

22. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

(New Shipper Review)

(Case No. CVD-NSR-01/2022)

Subject:—Initiation of New Shipper Review investigation for determination of individual countervailing/anti-subsidy duty rate for M/s LS Metal Vina LLC (Producer from Vietnam) in the case of Anti-Subsidy duties imposed on import of Copper Tubes & Pipes” originating in or exported from Vietnam.

F No. 07/16/2022-DGTR

1. LS Metal Vina LLC, Vietnam (herein after referred as the “applicant”) has filed an application in accordance with Article 19.3 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter also referred to as “ASCM”), the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Rules’) and the Custom Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) requesting for determination of their individual countervailing/ anti-subsidy duty rates in the matter of anti-subsidy duties levied on subsidized imports of Copper Pipes and Tubes, originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam.
2. The said duties were recommended vide final findings Notification No. F-4/10/2020-DGTR dated 31st January 2022 and levied by the Central Government vide Customs Notification No. 2/2022-Customs (CVD) dated the 28th April 2022.

A. Producer/Exporter involved

3. The present investigation involves M/s. LS Metal Vina LLC (Producer from Vietnam).

B. Initiation of Review

4. Article 19.3 of the ASCM requires the Authority to carry out an expedited review in order to establish an individual anti-subsidy (countervailing) duty rate for that exporter who was not actually investigated for reasons other than a refusal to cooperate.
5. The New Shipper applicant has provided the necessary information in their application... They have provided certifications to the effect that they have neither exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation (i.e., April 2019 to March 2020) nor they are related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the definitive countervailing duty.
6. On the basis of a duly substantiated application filed by the New Shipper applicant and the prima facie evidence available, the Authority hereby initiates a New Shipper Review investigation in terms of Article 19.3 of the ASCM, for determination of individual countervailing/anti-subsidy duty rate in relation to the anti-subsidy duties levied on subsidized imports of Copper Pipes and Tubes originating in or exported from Vietnam vide Customs Notification No. 2/2022-Customs (CVD) dated 28th April, 2022 pursuant to the recommendations made by the Authority vide final findings notification No. F. No. 4/10/2020-DGTR dated 31st January, 2022.
7. The Authority recommends provisional assessment on all exports of the subject goods produced by M/s LS Metal Vina LLC, Vietnam till the completion of this review.

C. Period of Investigation

8. The period of investigation for the purpose of the present New Shipper Review investigation is 1st April, 2021 to 30th March 2022.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

9. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, and adv14-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
10. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 14 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the CVD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
11. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the CVD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.
12. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
13. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

14. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, and adv14-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is

received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the CVD Rules, 1995.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
16. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

17. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8(2) of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
18. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
19. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
20. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the CVD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the CVD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

22. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority